उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–30/2015–16

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो

बनाम्

मेसर्स चन्दा टेलर्स एण्ड साड़ी सेन्टर

–: आदेश :–

14.06.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स चन्दा टेलर्स एण्ड साड़ी सेन्टर, प्रो0 श्रीमति प्रमिला देवी, पति–श्री अशोक प्रसाद सा0–यदुवंश नगर, चास, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षो को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेट बैंक ऑफ इंटिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीगल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा तेलीडीह, थाना चास जिला बोकारो के अंतर्गत खाता सं0 30 के प्लॉट सं0–684 रकवा–04 डी0) को गिरवी रखते हुए 10,40,000.00 (दस लाख चालीस हजार) रूपये का बैंक से ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–31.12.2014 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

विपक्षी को सूचना होने के बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित थे।

अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजात के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि विपक्षी के द्वारा आज तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का

कारण–पृक्षा दाखिल नहीं किया गया है। उनके द्वारा मात्र आवेदन पत्र देकर अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए ऋण राशि कम करने का अनुरोध किया गया है। जो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विपक्षी के द्वारा अब तक ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है और न ही उन्हें अपने बचाव में कुछ कहना है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें ।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

14.06.18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.28 17:17:19 +05:30
Location: 192.168.1.103